

FORM No. III

APP-A

Crime-I


फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खीवसर

सोनाराम बनाम निम्बाराम वगैरह

नं.....सन्..2019.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तागील में जारी हुए
	<p>11.06.2019</p> <p>प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया।</p> <p>वकील प्रार्थी ने उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने से पूर्व हमें एक पक्षीय सुना जावे। अतः वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजूद रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी रिकार्डिड सहरखातेदार है</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी पेशी तक बहक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा हैसाबा के विवादीत खेत ख.न. 284 रकबा 5 विश्वा, ख. न. 285 रकबा 1 बीघा गैर मु. बाड़ा, ख.न. 1157/415 रकबा 24 बीघा, ख.न. 1203/290 रकबा 50.08 बीघा, ख. न. 1205/290 रकबा 5 बीघा, ख.न. 1206/290 रकबा 13 बीघा में प्रार्थी के हिस्से तक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलदांजी, निर्माण, हस्तान्तरण, बैधान, रहन ना किया जावे। मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति रखी जावे।</p> <p>नोट:- उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा DILRMP पर प्रभावी नहीं होगा एवं उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 15.07.2019 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर खीवसर</p> <p>15/7/19 पक्षकार/पक्षकारान के आभवकता उपस्थित 039 R 3 (17) (L) 2 21-039 R 4 CR</p> <p>पंडितमन श्रीधरजी के मीटिंग में/ग्रामण/ नान्तरण हो चुका है। अहकाम पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 05/07/19 की प्रस्तुत है।</p>	

FORM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त मुकाम
नाम
दमा नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>3/10/20</p> <p>पक्षकारान क आशयवता उपास्थान</p> <p>पीठासीन अधिकारी को मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है। अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 5/10/20 को प्रस्तुत हो।</p>	
<p>5/10/20</p> <p>पक्षकारान क आशयवता उपास्थान</p> <p>पीठासीन अधिकारी को मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है। अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 30/12/20 को प्रस्तुत हो।</p>	
<p>30/12/20</p> <p>पक्षकारान क आशयवता उपास्थान</p> <p>पीठासीन अधिकारी को मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है। अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 30/3/21 को प्रस्तुत हो।</p>	
<p>30/3/21</p> <p>पक्षकारान क आशयवता उपास्थान</p> <p>पीठासीन अधिकारी को मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है। अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 15/4/21 को प्रस्तुत हो।</p>	
<p>15/4/21</p> <p>पक्षकारान क आशयवता उपास्थान</p> <p>पीठासीन अधिकारी को मीटिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है। अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 3/5/21 को प्रस्तुत हो।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3/5 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 24/5
को प्रस्तुत हो।

22/5 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 24/8
को प्रस्तुत हो।

24/8 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 22/11
को प्रस्तुत हो।

29/9

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता
उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को
लोक अदालत में रैफर करने हेतु
दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण
लोक अदालत में रैफर किया जाता है
पक्षकारान दि. 11/10/21 को लोक
अदालत में उपस्थित हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
खींवसर

4/10

उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन
गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प कोर्ट ग्राम
पंचायत (29/09/21) में पेश हुआ। उपस्थित
पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया
गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति
नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में
दिनांक 29/03/22 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
प्र.ग्रा.के.अ. 2021
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर

29/3/22

पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/
भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 21/7/22
को प्रस्तुत हो।

है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 29/03/22
को प्रस्तुत हो।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

6/7 पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/
अवकाश/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/
अवकाश पर जाने पर पत्रावली आत्मसात
दियाकाल 2/11/22 को पेश

2/11/22

पत्रावली-पेश (व्युत्पन्न 349)
वकील-प्रति-ने-उक्त प्रारम्भ-
के मेल में-उक्त-निवेदन किया
कि प्र. प्रति-के प्रारम्भ-के
पत्र-उक्त-निवेदन-के
द्वारा-प्रारम्भ-के मेल में-
के लिए-निवेदन

नया वकील प्रति-के-
निवेदन पर-प्रति-का उक्त-प्र.
प्र-मेल में-के लिए-
का-के प्रारम्भ-निवेदन-
के-उक्त-निवेदन-के-
के-उक्त-निवेदन-के-
के-उक्त-निवेदन-के-

Note
Perms
2/11/22

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) खीवसर